

झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
अष्टम (बजट)सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 23.01.2017 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र०सं	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री केदार हजरा एवं श्री निर्भय कुमार शाहाबादी स०वि०स०	<p>जमुआ विधान सभा क्षेत्र के कोदम्बरी से भोजपुरो पथ जो वर्षों से स्वीकृत है लेकिन स्थानीय किसान को मुआवजा नहीं मिलने के कारण सड़क निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है। साथ ही पचम्बा, जमुआ, खरगडीहा, सरौन पथ का निर्माण कार्य प्रारम्भ है। लेकिन स्थानीय जनता को मुआवजा एकरूपता से नहीं मिला है। जिससे स्थानीय जनता को काफी कठिनाई हो रही है।</p> <p>अतः मैं सरकार से कोदम्बरी भोजपुरो पथ में मुआवजा तथा पचम्बा, जमुआ, खरगडीहा, सरौन पथ में अधीग्रहीत जमीन पर एक समान मुआवजा की मांग करता हूँ।</p>	ग्रामीण विकास
02-	श्रीमती मेनका सरदार स०वि०स०	<p>पूर्वी सिंहभम जिलान्तर्गत पोटका प्रखंडाधीन आसन बनी उप स्वास्थ्य केन्द्र बनकर तैयार है, परन्तु विभाग द्वारा अपने अधीन नहीं लिये जाने के कारण पाँच पंचायतों के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है।</p>	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण

कृ०पृ०३०


-:2:-

01.	02.	03.	04.
		अतः उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र का विभाग द्वारा तत्काल जनहित में सभी संसाधनों के साथ अपने अधीन लिये जाने की ओर आसन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहेंगे।	


राँची,
दिनांक- 23 जनवरी, 2017 ई०।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं०-ध्या० एवं अना०प्र०-01/2017-.....915...../वि० स०, राँची, दिनांक- 22/01/17
प्रति:- झारखण्ड विधान सभा के मा०सदस्यगण/ मा०मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ मा० राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता उच्च न्यायालय राँची/ ग्रामीण विकास विभाग एवं स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।


(एस शिरोज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं०-ध्या० एवं अना०प्र०-01/2017-.....915...../वि० स०, राँची, दिनांक- 22/01/17
प्रति:- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा० अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।


उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

22/01/17